

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 52/2017 एफ एस एस एक्ट

- सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा
एफबीओ मैसर्स—तारा मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, सिकराय, दौसा।
निवासी:— दयालु कुन्ज धर्मशाला, मारुती नन्दन गली, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला करौली।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :-

दिनांक:- 11.10.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.3.2017 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्स तारा मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, सिकराय, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा निवासी:— दयालु कुन्ज धर्मशाला, मारुती नन्दन गली, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला करौली उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक एल्यूमिनियम की बड़ी परात में करीब 10-12 किलोग्राम लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, मैं मिलावट का शक होने पर इनमे से 2 किलोग्राम लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) नमूने की जांच हेतु हिलामिलाकर एक साफ सूखी एल्यूमिनियम की ट्रे में खरीदा। जिनकी कीमत 160 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 52/2017 एफ एस एस एक्ट

यह है कि खरीदशुदा लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) को चार साफ सूखी खाली बोतलों में बराबर-बराबर डालकर फॉर्मलिन की 40-40 बूंदें डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1604 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार-चार जगह से उपर नीचे दोनों साइडों से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 14.3.2017 खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.3.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./567/एक्ट/2017/634 दिनांक 12.4.2017 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा स्वयं बहस की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 52/2017 एफ एस एस एक्ट
कि उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) में खाद्य सुरक्षा नियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार कोई कमी नहीं पायी गयी है। लड्डूओं को रंगीन बनाने हेतु कलर का उपयोग किया गया है, जो हानिकारक नहीं है। खाद्य पदार्थ में उपयोग किया जा सकता है। अतः प्रकरण को कम से कम जुर्माना लगाकर ड्रॉप फरमावे।

हमने उभयपक्ष कि बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./567/एक्ट/2017/634 दिनांक 12.4.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अतः अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ लड्डू बूंदी (रिफा. सोयाबीन तेल से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा एफबीओ मैसर्स-तारा मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, सिकराय, जिला-दौसा पर 5100/- (अक्षरे पांच हजार एक सौ) रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 11.10.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया

कमांक/ 6592-94

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा एफबीओ मैसर्स-तारा मिष्ठान भण्डार, मेन मार्केट, मेहन्दीपुर बालाजी, सिकराय, दौसा।
निवासी:- दयालु कुन्ज धर्मशाला, मारुती नन्दन गली, मेहन्दीपुर बालाजी, जिला करौली।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 11.10.2017

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
जिला मजिस्ट्रेट दौसा